संख्या: 49/2017/2838/12-2-2017-18/2017

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 12 अगस्त, 2017

विषय: प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए फसली ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन हेतु पुर्नविनियोग की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:एस-कैम्प-28/फ0ऋ0मो0/लेखा/ 2017-18 दिनांक 25 जुलाई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए फसली ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-115-छोटे/उपान्तक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना-03-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान के अन्तर्गत रूपये 8623.74 लाख (रूपये छियासी करोड तेइस लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से (फार्म बीएम-9 भाग-1 संलग्न) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन, प्रचार-प्रसार, ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरण के लिए कैम्पों के आयोजन तथा अन्य विविध प्रशासनिक एवं अनुसांगिक व्यय हेतु विभिन्न स्रोतों यथा जनपद स्तर, सूचना एवं जन सम्पर्क तथा संस्थागत वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्तावों पर किया जायेगा।

3. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके तत्काल आवश्यकता होने पर ही फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते/बैंक में जमा नहीं की जायेगी।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-115-छोटे/उपान्तक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना-03-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान के सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

8. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में विहित व्यवस्था क का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रपत्र बी0एम0-9 में बतायी गयी बचतों के सही होने का पूर्ण उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

11. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या: 344/ई-1-दस-2017 दिनांक 10 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या: 49/2017/2838 (1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को बी0एम0-09 की 03 प्रतियों सहित।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in